उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-05/2024/एस-2-।/500735/दस-2024-2552/2021

लखनऊ :: दिनॉक: 21 फरवरी, 2024

कार्यालय-आदेश

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या वे0आ0-2-773/दस-62(एम)/ 2008 दिनॉक 5-11-2014 एवं सपठित सुसंगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अन्तर्गत उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा के अधिकारियों को सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (एसीपी) का लाभ दिये जाने हेतु गठित **Ld**ानिंग कमेटी की बैठक दिनॉक 05.01.2024 में की गयी संस्तुतियों पर सम्यक विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार स्तम्भ-2 में उल्लिखित अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित तिथि से **प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन (एसीपी)** एवं स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से **द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन (एसीपी)** अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :-

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	सहायक लेखाधिकारी (सादृश्य ग्रेड वेतन 4800) के पद पर नियुक्ति की तिथि	**प्रथम ए0सी0पी0 के रूप मे ग्रेड पे 5400 की देयता की तिथि**	**द्वितीय ए0सी0पी0 के रूप में ग्रेड पे 6600 की देयता की तिथि**
1	2	3	**4**	**5**
1	श्री राकेश चन्द्र मौर्य	16.03.1998	**01.12.2008**	**16.03.2014**

संजीव सिंह

विशेष सचिव।

संख्या व दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

3- संबंधित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उ0प्र0।

4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।

5- संबंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी।

6- संबंधित अधिकारीगण।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राजवीर सिंह)

अनु सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in